न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/02

रतन लाल आत्मज सूरजमल जाति गुंसाई निवासी शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।

---अपीलान्ट

बनाम

1. परमानन्द आत्मज सूरजमल ।
2. रामप्रसाद आत्मज सूरजमल जाति गुंसाई निवासीगण शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 व 02 की ओर से

निर्णय दिनांकः 22.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 08.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 व 02 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 66 की खसरा नम्बर 320 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी कम 01 के खातेदारी की भूमि है । ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा में खाता संख्या 143 की आराजी खसरा नम्बर 803/320 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी कम 02 के

खातेदारी की भूमि है । ग्राम शिवपुरा में खाता संख्या 123 की खसरा नम्बर 805/320 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थी कम 01 के खातेदारी की भूमि है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 01 तीनों सगे भाई हैं । उक्त भूमियॉ पक्षकारान के पिता स्वर्गीय सूरजमल पुरी आत्मज हरदेव पुरी जाति गुसाई के खातेदारी की थी । उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में आयी है । मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से की 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 320 के दक्षिणी भाग में स्थित है । प्रार्थी कम 1व 2 की भूमि इस खसरा नम्बर के उत्तरी भाग में स्थित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 से 3 में वर्णित भूमि जसके मूल खसरा नम्बर 320 थे में सदैव का 50 वर्षों से भी अधिक पुराना पूर्वजों के समय का रास्ता ग्राम शिवपुरा से आने वाली पक्की सडक जिसके खसरा नम्बर 325 हैं में होकर देई से इन्द्रगढ जानी वाली सडक में मिलकर पश्चिम से पूरब की ओर आकर खसरा नम्बर 320 के दक्षिणी भग में होकर पूरबी मेर के सहारे–सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है जो वर्तमान में खसरा नम्बर 805/320 में है । इस रास्ते को लाल स्याही से "अ"से "ब" अक्षरों के बीच में दर्शाया गया है । प्रार्थीगण इसी रास्ते का सदैव से अपने खातेदारी की भूमि में आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के काम में लेते चले आ रहे है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण का अपनी कृषि भूमियों पर आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । उक्त रास्ता 15 फीट चौडाई का है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि खसरा नम्बर 320 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 803/320 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा पर आने जाने, गाडी, बैल, हल कुली अव अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए खसरा नम्बर 805/320 में दक्षिण से उत्तर देई से इन्द्रगढ जाने वाली सडक के पास से होकर 15 फीट की चौडाई का रास्ता जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 06 में दिया गया है व जिसके खसरा नम्बर 805/320 की पूरबी मेर के सहारे– सहारे लाल लाईन से "अ" बिन्दु से "ब" बिन्दु तक नजरी नक्शा परिशिष्ट "क" में दर्शाया है को राजस्व नक्शे में कायम करें तथा अप्रार्थी कम 01 को गेट का ताला खोलने एवं रास्ते को खुलासा रखने हेतु पाबन्द किया जावे ।

4. अप्रार्थी कम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट सहण में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.12.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 805/320 के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर 02 गठ्ठा चौडा तथा 78 गठ्ठा लम्बा अर्थात् 08 बिस्वा गै0मु0 भूमि जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में डोटेड लाइन से अंकित किया गया है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश पारित किये ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.12.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी गवर्नमेन्ट (अमेन्डेड) नियम, 2012 के नियम 69 के अन्तर्गत केवल उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी मौका

रिपोर्ट तैयार करने के लिए सक्षम हैं । उसके उपरान्त भी परीक्षण न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा एकपक्षीय गलत, अवैध एवं त्रुटिपूर्ण रूप से तैयार की गई मौका रिपोर्ट को आधार बना कर उक्त आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण द्वारा धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपीलान्ट की खसरा नम्बर 805/320 के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर 02 गठ्ठा चौडा तथा 78 गठ्ठ लम्बा अर्थात् 08 बिस्वा से नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में डोटेड लाइन से अंकित किया गया है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश पारित किये । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के खातेदारी की भूमि में आने–जाने का पुरातन रास्ता सदैव से ही अपीलान्ट के खाते व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 805/320 की 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि के पश्चिम मेड पर होकर रहा है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग में ले रहे हैं । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की भूमि में जाने के लिए जब वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो ऐसी स्थिति में नया रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं है । अप्रार्थी अपीलान्ट के खाते व कब्जे की उक्त भूमि में पूर्वी मेड के सहारे अपीलान्ट अप्रार्थी का कुआ स्थित है एंव विद्युत डीपी लगी हुई है । इस कारण वहॉ नया रास्ता कायम किया जाना संभव नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी गवर्नमेन्ट (अमेन्डेड) नियम, 2012 के नियम 69 के अन्तर्गत केवल उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी मौका रिपोर्ट तैयार करने के लिए सक्षम हैं । उसके उपरान्त भी परीक्षण न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा एकपक्षीय गलत, अवैध एवं त्रुटिपूर्ण रूप से तैयार की गई मौका रिपोर्ट को आधार बना कर उक्त आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे (28) 2021 पेज 276, आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 598, आरआरटी 2021 (2) पेज 1286, आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 576, आरआरटी 2020 (2) पेज 979, आरआरटी 2021 (2) पेज 1286 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट सहण में रखते हुए निर्णित किया है। अप्रार्थी क्रम 01 अपीलान्ट कुछ समय से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को नजरी नक्शा परिशिष्ट "क" में लाल लाईन से दर्शाये गये "अ" से "ब" अक्षरों के बीच स्थित रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से रोक रहा है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अभी स्यालू की फसल बोन के समय अपने खेत खसरा नम्बर 805/320 की उत्तरी मेर पर अर्थात् प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि के बीच की मेर पर पूरब से पश्चिम तारबन्दी कर दी तथा गेट पर स्वयं का ताला लगा दिया जिस कारण प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट अपने खाते की आराजी नहीं आ जा पा रहे हैं। रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में प्रतिकर की राशि जमा

करवा दी है जिसकी रसीद न्यायालय हाजा में पेश की गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक मनन किया । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के खाते की आराजी में आने–जाने हेतु रास्ता कायम करने का अनुतोष चाहा था । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खसरा नम्बर 805/320 में दक्षिण से उत्तर देई से इन्द्रगढ जाने वाली सडक के पास से होकर 15 फीट की चौडाई का रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट सहण में रखने हेतु अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया था । उक्त नोटिस पर रतनपुरी लिखा हुआ है और बाद तामील पेश होना अंकित किया है । अपीलान्ट रतन लाल है उक्त नोटिस पर रतनपुरी अंकित है रतनपुरी और रतनलाल के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं है । धारा 251 (क) के तहत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर Summary Enquiry करने का प्रावधान है, Summary Enquiry में मौका रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज/साक्ष्य होती है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । उक्त मौका रिपोर्ट पर केवल आई0 एल0 आर0 के हस्ताक्षर हैं । उक्त मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार की उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है और न ही यह अंकित किया गया है कि पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया । प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अधिकतर कॉलम रिक्त हैं । तहसीलदार (भू–अभिलेख) नैनवा द्वारा दिनांक 08.12.2021 को उपखण्ड अधिकारी बून्दी को प्रेषित पत्र में अंकित किया गया है कि "पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट" मूल ही, जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2021 पर हल्का पटवारी के भी हस्ताक्षर अंकित नहीं है । मौका रिपोर्ट एवं निर्णय में यह कहीं अंकित नहीं है कि अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है । अतः मौका रिपोर्ट तथा निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है । उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है । उक्त मौका पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा नं0 10 में किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी नियमों की पालना करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट लेकर पर नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस में विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा